पत्र संख्या-आई0टी0-फार्म माड्यूल (2016-2017)/ 999/1617056 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0
(आई0टी0-अनुभाग)
दिनॉक // लखनऊ // जनवरी, 13 ,2017

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।

व्यापारियों को सुविधा प्रदान करने हेतु वाणिज्य कर विभाग में विभिन्न प्रकार के विभागीय केन्द्रीय फार्मों को आनलाइन डाउन लोड करने की व्यवस्था प्रचलित है। कतिपय व्यापारियों द्वारा आनलाइन फार्म जनरेशन प्रक्रिया में त्रुटिपूर्ण विवरण भरने के कारण गलत फार्म आनलाइन जनरेट कर लिये जाते हैं। तत्पश्चात व्यापारी द्वारा त्रुटिपूर्ण जनरेटेड फार्म को संशोधित कराये जाने का अनुरोध सम्बन्धित कार्यालय से किया जाता है जिन्हे फील्ड कार्यालयों द्वारा मुख्यालय अग्रसारित कर दिया जाता है इससे व्यापारियों को असुविधा एवं विलम्ब का सामना करना पडता है। मुख्यालय पर बिना उचित अभिलेखीय जॉच के त्रृटि का निवारण करना भी नियमानुसार उचित नही है।

2- अतः व्यापारियों द्वारा त्रुटिपूर्ण जनरेट किये जा चुके / जनरेट किये गये CST फार्म (फार्म C/H/E1/E2/F/H/I), फार्म-31 तथा शुगर मिल द्वारा प्रयोग किये जाने वाले Entry Form के त्वरित निवारण के दृष्टिगत निम्न प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है:-

1-डीलर के स्तर पर (यह सुविधा डीलर के login पर उपलब्ध है :

- डीलरअपनी ई-सर्विसेस लागिन आई0डी0 से लागिन करने के पश्चात् **सेलेक्ट फार्म** के अन्तर्गत " **Form-C - Form of declaration** " विकल्प चुना जायेगा।
- **Form C Menu** में **" Request Application for Changes in Generated form "** विकल्प पर क्लिक किया जायेगा।
- **Form C Changes Request** Window खुलने पर जिस केन्द्रीय फार्म में संशोधन करना हो उसका Form Number भरकर **" Search"** पर क्लिक किया जायेगा।
- सम्बंधित केन्द्रीय फार्म का विवरण Screen पर आ जाने के बाद **Edit** विकल्प पर क्लिक किया जायेगा। तत्पश्चात् डीलर केन्द्रीय फार्म के विवरण में वांछनीय संशोधन करें एवं पुनः **Edit** पर क्लिक किया जायेगा। सम्बन्धित केन्द्रीय फार्म में **Edit** का विकल्प फार्म download करने से 02 दिवस तक ही उपलब्ध होगा।
- संशोधित विवरण **Record for updation** grid पर आ जाने के बाद **Finally Save Record for Changes** पर क्लिक किया जायेगा।

सिस्टम द्वारा Application Number जनरेट हो जाने पर डीलर द्वारा **Print Application** पर क्लिक किया जायेगा तथा Application के प्रिंटआउट एवंम त्रृटिपूर्ण फार्म की हस्ताक्षरित प्रति के साथ सम्बन्धित खण्डाधिकारी से अनुमोदन हेतु संपर्क करेंगें। इस आवेदन के साथ व्यापारी को यह घोषणा भी करनी आवश्यक होगी कि यह फार्म किसी भी व्यापारी को जारी नही किया गया है।

- यह प्रक्रिया CST फार्म (फार्म C/H/E1/E2/F/H/I), फार्म-31 तथा शुगर मिल द्वारा प्रयोग किये जाने वाले Entry Form के लिये अपनायी जायेगी। एक फार्म नम्बर के लिए Edit की सुविधा एक ही बार उपलब्ध होगी।

2- खण्ड अधिकारी के स्तर पर (यह सुविधा Vyas में अधिकारी के login पर उपलब्ध है):

ऑनलाइन जेनरेटेड केन्द्रीय फार्म्स में कार्यालय स्तर पर approval हेतु विकसित की गयी प्रक्रिया में ज्वाइन्ट कमिश्नर **(कारपोरेट)** स्तर के केन्द्रीय फार्मों का वेरीफिकेशन एवं **Approval** ज्वाइन्ट कमिश्नर **(कारपोरेट)** द्वारा स्वयं किया जायेगा। वाणिज्य कर अधिकारी स्तर के केन्द्रीय फार्मों का **Approval** सम्बंधित खण्ड के असिस्टेन्ट कमिश्नर द्वारा ,असिस्टेंट कमिश्नर स्तर के केन्द्रीय फार्मों का Approval खण्ड के डिप्टी कमिश्नर द्वारा तथा डिप्टी कमिश्नर स्तर के केन्द्रीय फार्मों का **Approval** सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर **(कार्यपालक)** द्वारा किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

3- डीलर सिस्टम जनरेटेड Application का प्रिंटआउट लेकर अपने कर निर्धारण अधिकारी को देगा। तत्पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपेक्षित अपने स्तर से जॉच करते हुए अपने लागिन में जाकर Form Menu में **" Approval / Disapproval of Generated CST form Changes"** लिंक पर क्लिक किया जायेगा। **Form type Menu** में सम्बंधित **Form type** सेलेक्ट करने के पश्चात **Submit** buttonपर क्लिक किया जायेगा।

- सम्बंधित Application Number को सेलेक्ट करने के पश्चात समस्त संशोधनों से संतुष्ट होने पर Forward Option पर क्लिक किया जायेगा तत्पश्चात Record Approval के लिये एक स्तर उच्च अधिकारी को Forward हो जायेगा। संशोधनों से असंतुष्ट होने की स्थिति में कारण का उल्लेख करते हुए **Not Forward** लिंक पर क्लिक किया जायेगा।
- Approval हेतु एक स्तर उच्च अधिकारी अपने Sector office Login में जाकर Forms Menu में **" Approval / Disapproval of Generated CST form Change"** पर क्लिक करेगें तथा **Form Type** सेलेक्ट करके Submit करेंगें।
- संबंधित Application No. को सेलेक्ट करने पर तथा किये गये संशोधनों से संतुष्ट होने की स्थिति में **Approve Option** पर क्लिक करते हुए केन्द्रीय फार्म अपडेशन को अनुमोदित किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में Text box में कारणों का उल्लेख करते हुए Disapproval Option पर क्लिक किया जायेगा। यह सूचना कि व्यापारी का फार्म Approve हुआ है अथवा Disapprove व्यापारी को e-mail / sms के माध्यम से स्वत: प्रेषित हो जायेगी। व्यापारी द्वारा फार्म Edit के सम्बन्ध में दिये गये Online Application पर 15 दिन में निर्णय लिया जाना अनिवार्य होगा। 15 दिन के उपरान्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) के पत्रावली पर अनुमोदन के पश्चात निर्णय लिया जायेगा। इसी प्रकार ज्वाइंट कमिश्नर (कारपोरेट) द्वारा निर्णय न लिये जाने पर ज्वाइंट कमिश्नर (कारपोरेट) द्वारा एडीशनल कमिश्नर से पत्रावली पर अनुमोदन प्राप्त किये जाने के उपरान्त निर्णय लिया जायेगा।
- संशोधित केन्द्रीय फार्म को Re-print करने हेतु डीलर Form C Menu में दिये गये लिंक Download/Reprint Form C पर डीलर जायेंगे तत्पश्चात Form C Re-print Option पर Form Number भरकर संशोधित फार्म Print कर लेंगे।
- अत: फील्ड के समस्त अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि ऐसे समस्त त्रृटिपूर्ण मामलों को अपने स्तर से जॉचोपरान्त तत्काल निस्तारित करेंगे। यह भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त से सम्बन्धित ऐसे सभी मामलें जो पूर्व में निस्तारण हेतु मुख्यालय अग्रसारित किये गये हैं, ऐसे मामलों में भी निस्तारण की कार्यवाही सम्बन्धित फील्ड कार्यालय द्वारा ही की जायेगी।

कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से पालन कराना सुनिश्चित करें।

13/01/17

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश